

पटना नगर निगम

پٹنہ میونسپل کارپوریشن

PATNA MUNICIPAL CORPORATION



CITY OF PATNA

संशोधित

Letter No. / पत्रांक: 09787

Date / दिनांक: 30/07/2024

संचिका सं०- P-/DHANAUT-PRN-G+3/220/2020

सेवा में,

**SRI ANIRUDH RAI**  
S/O-LATE RAMBRIKSH RAI,  
ADD.-SAHAY NAGAR, DHANAUT,  
PS.-RUPASPUR, DIST-PATNA.

विषय :-

प्लॉन केस सं०- P-/DHANAUT-PRN-G+3/220/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या- PMC  
BPAS-00598/2020/BP की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P-/DHANAUT-PRN-G+3/220/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या- PMC  
BPAS-00598/2020/BP के संदर्भ में **SRI ANIRUDH RAI**, S/O-LATE RAMBRIKSH RAI, ADD.-SAHAY NAGAR,  
DHANAUT, PS.-RUPASPUR, DIST-PATNA., पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार  
शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित ..... विकास योजना/आयोजना  
प्राधिकार/आयोजना स्कीम के ..... सर्वे प्लॉट सं०-2488, थाना सं०-20, खाता सं०-296, तौजी सं०-5556,  
मौजा- DHANAUT, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की  
जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से **आवासीय** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **331.25** वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **7.60** मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को **शून्य** वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) भवन उपविधि के कंडिका-09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/ बिल्डर की होगी।  
Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to three years from the date such a permission is granted.
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

- (ज) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कंडिका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,

*(Signature)*

निदेशक,

शहरी योजना,

पटना नगर निगम, पटना।

MAA TARA CHANDI HOMES (P) LTD.  
मालीशम चांदव  
Director